(Meaning and Definitions of Corporate Governance)

निगमित अभिशासन व्यापार में नैतिक आचरण के रूप में हैं। नैतिकता उन मूल्यों ार सिद्धान्तें की संहिता है जो व्यक्ति को सही और गलत का चुनाव करने में समर्थ नाती है, इस प्रकार वह कार्यों के विभिन्न विकल्पों में से एक को चुनता है। निगमित भिशासन कम्पनी की परिवर्तित परिस्थितियों के साथ-साथ विकसित हुआ। अतः गमित अभिशासन का कोई एकमात्र तरीका नहीं है। निगमित अभिशासन की कुछ हत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार है-

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (ICSI) के अनुसार, "निगमित अभिशासन सभी क्षकारों के संपोषणीय विकास के लिए प्रभावी प्रबंधन, सम्पत्ति के वितरण एवं सामाजिक जम्मेदारी के निर्वहन के लिए श्रेष्ठ प्रबंधन प्रथाओं का अनुपालन, सही अर्थों में कानून का ालन तथा नैतिक मापदंडों का अनुकरण है।"

एल० वी० वी० अय्यर के अनुसार, "निगमित अभिशासन उन प्रणालियों और क्रियाओं का एक समुच्चय या सेट है जो यह सुनिश्चित करता है कि कम्पनी का प्रबन्ध सभी पक्षकारों के श्रेष्ठ हित में हो, ऐसी प्रणालियां स्थापित करता है जो निगमित अभिशासन के कार्य में मदद करता है, उसमें कुछ ढाँचागत संगठन होता है।"

Scanned with CamScann

सेबी द्वारा निगमित अभिशासन पर गठित कुमार मंगलम बिरला समिति की रिपोर्ट (1999) के अनुसार, "दृढ़ निगमित अभिशासन प्रत्यास्थी और उज्जवल पूँजी बाजार के लिए अनिवार्य है तथा निवेश सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। यह रक्त है जो पारदर्शी निगमित अभिशासन एवं उत्तम स्तरीय लेखांकन प्रथाओं की शिराओं में दौड़ता है। यह माँसपेशी है जो व्यावहारिक एवं पहुँचयोग्य वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था को गतिशील बनाती है।"

सेबी द्वारा निगमित अभिशासन पर गठित एन आर नारायणमूर्ति समिति की रिपोर्ट (2002) के अनुसार, "निगमित अभिशासन प्रबन्धन द्वारा शेयरधारकों के निगमों के वास्तविक स्वामी के रूप में उसके अभिन्न अधिकार तथा शेयरधारकों की ओर से अपनी भूमिका न्यासियों के रूप में स्वीकृत है। यह कम्पनी के प्रबंधन में नैतिक कारोबार आचरण के प्रति कटिबद्धता और निजी एवं निगमित कोष के बीच अंतर करने की कला है।"

अतः निगमित अभिशासन एक नैतिक एवं मूल्य प्रारूप है जिसके अन्तर्गत निगमित निर्णय लिए जाते हैं। उसमें कम्पनी का उसके सभी पक्षकारों के साथ सम्बन्ध शामिल है। कैडबरी समिति ने निगमित अभिशासन को ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है जिसके माध्यम से कम्पनी का निर्देशन तथा नियन्त्रण किया जाता है।

अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों से औद्योगिक सद्भाव उत्पन्न होता है और ये न केवल नियोक्ता और मजदूरों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। औद्योगिक सद्भाव के अन्तर्गत उत्पादकता में वृद्धि के महत्व पर बल दिया जाना चाहिए क्योंकि उत्पादकता में वृद्धि से न केवल विकास दर तीव्र होती है बल्कि पूरे समुदाय की उन्नति भी होती है। इस प्रकार, औद्योगिक सद्भाव की इच्छा आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।

Scanned with CamScann

उत्तम निगमित अभिशासन
(Good Corporate Governance)

निगमित अभिशासन निगमित निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रो है। उत्तम निगमित अधिनियम जवाबदेही, निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा नैति सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठनात्मक निर्णयों एवं संसाधनों के प्रयोग की औप प्रणाली है। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषकर सुप्रसिद्ध नि विफलताओं के बाद बाजार एवं सार्वजनिक विश्वास डगमगा जाने के बाद इन विफ में प्रभावी अभिशासन की कमी एक बड़ी वजह थी। एक उत्तम निगमित अभिशास की माँग है चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ हों या बहुराष्ट्रीय कम्पनियां या घरेलू कारोबार समूह। अच्छे निगम जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि उनका निर्म विकास हुआ है तथा नैतिक नींव उत्तम निगमित अभिशासन का आधार है उ पक्षकारों के हित में हैं।

उत्तम निगमित अभिशासन शेयरधारकों, ऋणदाताओं, नियोक्ताओं, सरक के विविध हितों को मान्यता प्रदान करता है। उत्तम निगमित अभिशासन लाने अभिशासन की नई अवधारणा केवल विविध निगमित हितों की पूर्ति के लिए ही अ नहीं है बल्कि स्वयं निगमों और अर्थव्यवस्था के लिए भी अति आवश्यक है।

Scanned with CamScann

उत्तम निगमित अभिशासन के मुख्य उद्देश्य
(Main Objectives of Good Corporate Governance)

निगमित अभिशासन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य का संवर्धन और साथ-साथ अन्य शेयरधारकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा, एक अच्छे या उत्तम अधिशासन में निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल दिया जाता है–

(1) यह सुनिश्चित करना कि हमेशा बोर्ड का कम्पनी के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण हो।

(2) यह सुनिश्चित करना कि बोर्ड कम्पनी को प्रभावित करने वाले प्रासंगिक घटनाक्रम से शेयर धारकों को सूचित रखे।

(3) कम्पनी निदेशकों के प्रति कम्पनी की जवाबदेही तथा शेयरधारकों के प्रति निदेशकों की जबावदेही सुनिश्चित करना।

(4) निगमित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त खुलासे सुनिश्चित करना और प्रभावी निर्णय प्रक्रिया।

(5) यह सुनिश्चित करना कि बोर्ड प्रबंधन टीम के कामकाज पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखे।

(6) बोर्ड गैर कार्यकारी के पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधित्व और स्वतन्त्र निदेशकों का एक ऐसा तराजू है जो पक्षकारों के हितों की देखभाल करता है।

(7) कम्पनी के खातों में लेन-देन का पूरा विवरण देकर संगठन में उत्तम स्तर की पारदर्शिता सनिश्चित करना।

Scanned with CamScann